//नेशनल लोक अदालत दिनांक 11.02.2023//

परिवादी सहित श्री भूपेंद्र जैमिनी अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण अभियुक्त की उपस्थित हेतु नियत है।

प्रकरण में परिवादी की ओर से धारा 147 परक्राम्य लिखत अधिनियम का आवेदन पेश कर व्यक्त किया गया कि प्रकरण में अभियुक्त की ओर से राशि जमा कर दी गयी है और अपना ऋण खाता बंद कर दिया गया है। वह पूर्ण संतुष्टि में प्रकरण की कार्यवाही समाप्त कराना चाहता है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 एन.आई.एक्ट के अपराध में संज्ञान लिया गया है। धारा 138 एन.आई. एक्ट शमन योग्य है। आवेदक अभियोजित अपराध का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। अतः यह प्रकरण पूर्ण संतुष्टि में समाप्त किया जाता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत दामोदर ए प्रभू बनाम सैय्यद बाबालाल ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 1907 के आलोक में कोई शुल्क अधिरोपित नहीं की जा रही है।

उक्त राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त को धारा 138 एन. आई.एक्ट के अपराध से उन्मोचित कर प्रकरण से स्वतंत्र किया जाता है।

विधिवत न्याय शुल्क वापस करने का प्रमाण–पत्र बनाया जाये।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर विधिवत अभिलेखागार में जमा हो।

सही/–11.02.2023

(राजेन्द्र गुप्ता)	(मनीष कुश्वाह)	(अविनाश छारी)
सदस्य	पी.एल.व्ही	पीठासीन अधिकारी
		खण्डपीठ कमांक–25
		न्या.मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पोहरी